IJMRSETM

e-ISSN: 2395 - 7639

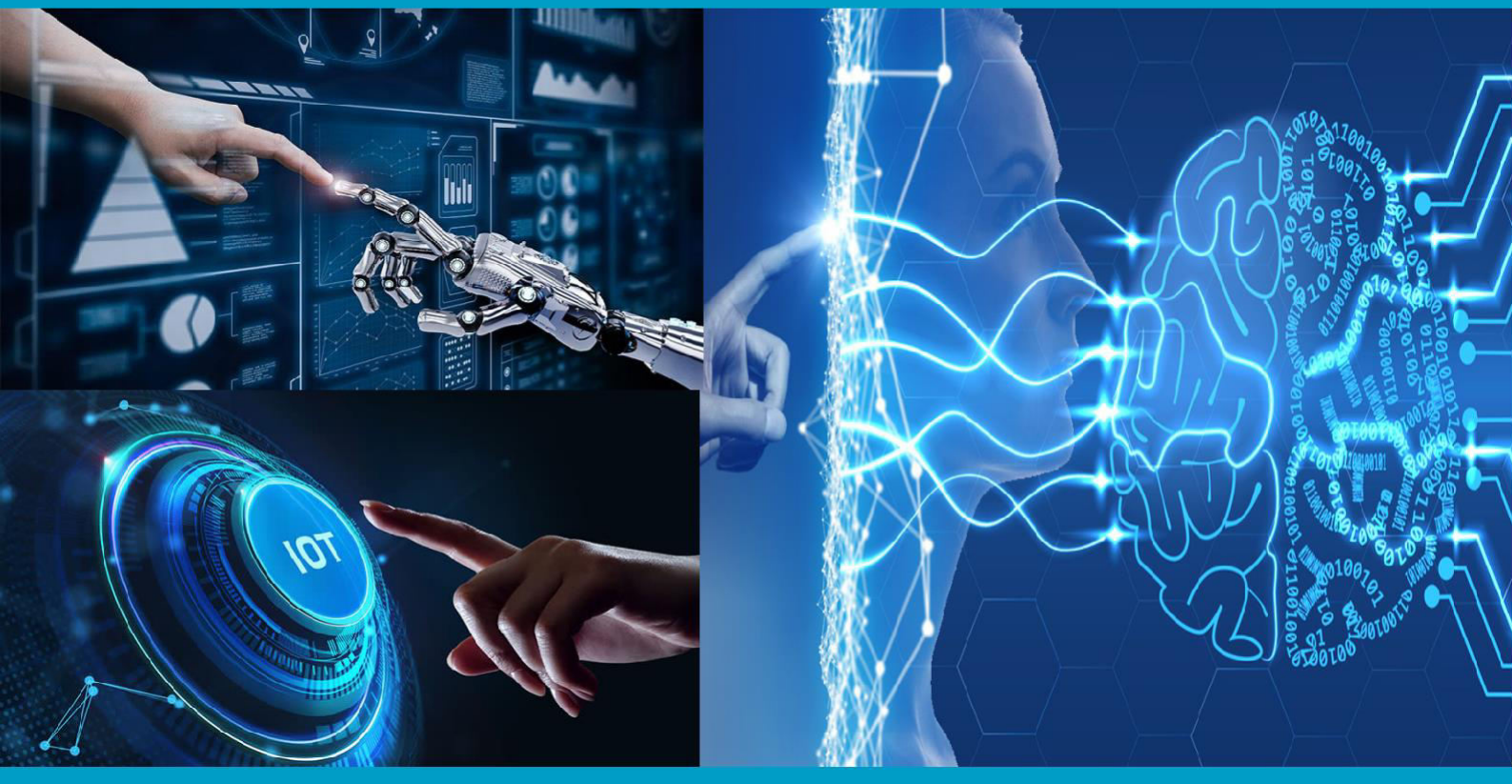

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH

IN SCIENCE, ENGINEERING, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT

Volume 9, Issue 11, November 2022

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 7.580

| ISSN: 2395-7639| www.ijmrset.com| Impact Factor: 7.580 | A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

|| Volume 9, Issue 11, November 2022 ||

|DOI:10.15680/IJMRSETM.2022.0811027|

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के समक्ष चुनौतियों का विश्लेषण

Neha Sharma

MA, (SPC Govt. College, Ajmer), UGC, NET, Khandela, Sikar, Rajasthan, India

सार

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग एक राज्य सरकार का निकाय है जिसका गठन 18 जनवरी 1999 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अध्याय-V के तहत राज्य मानव अधिकार आयोग को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और सौंपे गए कार्यों को करने के लिए किया गया था। [1]

आयोग 23 मार्च 2000 को मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कांता कुमारी भटनागर की प्रथम अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के साथ-साथ श्री आरके अकोदिया, श्री बीएल जोशी और प्रोफेसर आलमशाह खान की सहायक सदस्यों के रूप में नियुक्ति के साथ कार्यात्मक हो गया। [2]

परिचय

आयोग टीपीएचआरए-1993 के अध्याय-III बिंदु संख्या 12 के अनुसार निम्नलिखित सभी या कोई भी कार्य करेगा।

1. किसी पीड़ित या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत याचिका पर या किसी अदालत के निर्देश या आदेश पर किसी की शिकायत पर पूछताछ करें।
    1. मानवाधिकारों का उल्लंघन या उनमें कमी; या
    2. किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे उल्लंघन की रोकथाम में लापरवाही;
2. किसी अदालत के समक्ष लंबित मानवाधिकारों के उल्लंघन के किसी भी आरोप से जुड़ी किसी भी कार्यवाही में ऐसी अदालत की मंजूरी से हस्तक्षेप करना;
3. तत्समय लागू किसी भी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार के नियंत्रण में किसी जेल या अन्य संस्थान का दौरा करें, जहां लोगों को उपचार, सुधार या सुरक्षा के प्रयोजनों के लिए, जीवित रहने के अध्ययन के लिए हिरासत में लिया जाता है या रखा जाता है। वहां के कैदियों की स्थिति और उन पर सरकार को सिफारिशें करना;
4. मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान या उस समय लागू किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की समीक्षा करें और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करें;
5. मानव अधिकारों के आनंद को बाधित करने वाले आतंकवाद के कृत्यों सहित कारकों की समीक्षा करें और उचित उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करें;
6. मानवाधिकारों पर संधियों और अन्य अंतरराष्ट्रीय उपकरणों का अध्ययन करें और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करें;
7. मानवाधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और बढ़ावा देना;
8. समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानवाधिकार साक्षरता फैलाना और प्रकाशनों, मीडिया, सेमिनारों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना;
9. मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों एवं संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करना;
10. ऐसे अन्य कार्य जिन्हें वह मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक समझे।

प्रक्रिया

किसी भी मामले में कार्रवाई की प्रक्रिया अध्याय-IV बिंदु संख्या में उल्लिखित है। टीपीएचआरए अधिनियम 1993 के 17 से 20।

| ISSN: 2395-7639| www.ijmrset.com| Impact Factor: 7.580 | A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

|| Volume 9, Issue 11, November 2022 ||

|DOI:10.15680/IJMRSETM.2022.0811027|

शिकायतों की जांच

मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करते समय आयोग-

1. केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या उसके अधीनस्थ किसी अन्य प्राधिकरण या संगठन से उसके द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर जानकारी या रिपोर्ट मांगें:- बशर्ते कि-
    1. यदि सूचना या रिपोर्ट आयोग द्वारा निर्धारित समय के भीतर प्राप्त नहीं होती है, तो वह स्वयं शिकायत की जांच के लिए आगे बढ़ सकता है;
    2. यदि, सूचना या रिपोर्ट प्राप्त होने पर, आयोग संतुष्ट है कि आगे कोई जांच की आवश्यकता नहीं है या संबंधित सरकार या प्राधिकारी द्वारा आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई है या की गई है, तो वह शिकायत पर आगे नहीं बढ़ सकता है और तदनुसार शिकायतकर्ता को सूचित कर सकता है;
    3. खंड (i) में निहित किसी भी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि वह आवश्यक समझे तो शिकायत की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए जांच शुरू करेगी।

पूछताछ के दौरान और उसके बाद के कदम

आयोग इस अधिनियम के तहत आयोजित जांच के दौरान या उसके पूरा होने पर निम्नलिखित में से कोई भी कदम उठा सकता है, अर्थात्: -

1. जहां जांच में मानव अधिकारों के उल्लंघन या किसी लोक सेवक द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन की रोकथाम या उसके उन्मूलन में लापरवाही का खुलासा होता है, वह संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है -
    1. शिकायतकर्ता या पीड़ित या उसके परिवार के सदस्यों को मुआवजे या क्षति का भुगतान करना, जैसा कि आयोग आवश्यक समझे;
    2. अभियोजन या ऐसी अन्य उपयुक्त कार्रवाई के लिए कार्यवाही शुरू करना जो आयोग संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के खिलाफ उचित समझे;
    3. ऐसी आगे की कार्रवाई करना जो वह उचित समझे;
2. ऐसे निर्देशों, आदेशों या रिटों के लिए उच्चतम न्यायालय या संबंधित उच्च न्यायालय से संपर्क करें जिन्हें वह न्यायालय आवश्यक समझे;
3. जांच के किसी भी चरण में संबंधित सरकार या प्राधिकारी को पीड़ित या उसके परिवार के सदस्यों को ऐसी तत्काल अंतरिम राहत देने की सिफारिश करना, जिसे आयोग आवश्यक समझे;
4. खंड के प्रावधानों के अधीन
5. याचिकाकर्ता या उसके प्रतिनिधि को जांच रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान करें;
6. आयोग अपनी जांच रिपोर्ट की एक प्रति अपनी सिफारिशों के साथ संबंधित सरकार या प्राधिकरण को भेजेगा और संबंधित सरकार या प्राधिकरण, एक महीने की अवधि के भीतर, या आयोग द्वारा अनुमति दिए गए अतिरिक्त समय पर अपनी टिप्पणियाँ अग्रेषित करेगा। उस पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई सहित आयोग को रिपोर्ट देना;
7. आयोग अपनी जांच रिपोर्ट को संबंधित सरकार या प्राधिकरण की टिप्पणियों, यदि कोई हो, और आयोग की सिफारिशों पर संबंधित सरकार या प्राधिकरण द्वारा की गई या प्रस्तावित कार्रवाई के साथ प्रकाशित करेगा।

सशस्त्र बलों के संबंध में प्रक्रिया

1. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों से निपटते समय, आयोग निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगा, अर्थात्: -
    1. यह या तो स्वप्रेरणा से या याचिका प्राप्त होने पर, केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है
    2. रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद, वह या तो शिकायत पर आगे नहीं बढ़ सकती है या, जैसा भी मामला हो, उस सरकार को अपनी सिफारिशें कर सकती है।
2. केंद्र सरकार आयोग को तीन महीने के भीतर या आयोग द्वारा अनुमति दिए गए अतिरिक्त समय के भीतर सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के बारे में सूचित करेगी।

| ISSN: 2395-7639| www.ijmrset.com| Impact Factor: 7.580 | A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

|| Volume 9, Issue 11, November 2022 ||

|DOI:10.15680/IJMRSETM.2022.0811027|

3. आयोग केंद्र सरकार को की गई अपनी सिफारिशों और ऐसी सिफारिशों पर उस सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के साथ अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करेगा।
4. आयोग उप-धारा (3) के तहत प्रकाशित रिपोर्ट की एक प्रति याचिकाकर्ता या उसके प्रतिनिधि को प्रदान करेगा।

आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टें

1. आयोग केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और किसी भी समय किसी भी मामले पर विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है, जो उसकी राय में इतनी अत्यावश्यक या महत्वपूर्ण है कि इसे प्रस्तुत करने तक स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। वार्षिक रिपोर्ट।
2. जैसा भी मामला हो, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट को कार्रवाई के ज्ञापन के साथ क्रमशः संसद या राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगी। आयोग की सिफ़ारिशों पर लिया गया या लिया जाने का प्रस्ताव और सिफ़ारिशों को अस्वीकार करने के कारण, यदि कोई हों।

रचना

सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक टिप्पणी के बाद [3] झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश चंद्र टाटिया को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, [4] उनके नाम की सिफारिश सदस्य के रूप में श्री चंद्रमोहन मीना और विशेषज्ञ के रूप में श्री आशुतोष शर्मा के साथ की गई। मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे सिन्धिया की अध्यक्षता में दो चयन समितियों द्वारा। [5]

विचार-विमर्श

वर्तमान टीम

नाम	पद	से
जस्टिस जीके व्यास	अध्यक्ष	--
श्री महेश गोयल	सदस्य	--
श्री आशुतोष शर्मा	सदस्य	--
श्री एच आर कुरी	सदस्य	1 सितंबर 2011
डॉ. एमके देवराजन	सदस्य	1 सितंबर 2011
श्री जंगा श्रीनिवास राव	सचिव	5 अप्रैल 2010
श्रीमती संचिता बिश्नोई	उप कुल सचिव	30 मार्च 2012
श्री पीआर पंडित	सचिव	3 मार्च 2014
श्री सौरभ श्रीवास्तव	महानिदेशक पुलिस	3 मार्च 2014

इससे पहले श्री एचआर कुरी कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में आयोग का नेतृत्व कर रहे थे क्योंकि मद्रास और कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश नागेंद्र कुमार जैन द्वारा 16 जुलाई 2005 से 15 जुलाई 2010 तक अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद यह पद खाली हो गया था । [6]

पूर्व अध्यक्ष एवं सदस्य

नाम	पद	से	तक
न्यायमूर्ति कांता कुमारी भटनागर	अध्यक्ष	23 मार्च 2000	11 अगस्त 2000
न्यायमूर्ति सैय्यद सगीर अहमद	अध्य	16 फरवरी 2001	3 जून 2004

| ISSN: 2395-7639| www.ijmrset.com| Impact Factor: 7.580 | A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

|| Volume 9, Issue 11, November 2022 ||

|DOI:10.15680/IJMRSETM.2022.0811027|

	क्ष		
न्यायमूर्ति नागेंद्र कुमार जैन	अध्यक्ष	16 जुलाई 2005	15 जुलाई 2010
जस्टिस अमर सिंह गोदारा	सदस्य	7 जुलाई 2000	6 जुलाई 2005
श्री आर.के.अकोदिया	सदस्य	25 मार्च 2000	24 मार्च 2005
श्री बीएल जोशी	सदस्य	25 मार्च 2000	31 मार्च 2004
प्रोफेसर आलमशाह कहन	सदस्य	24 मार्च 2000	16 मई 2003
श्री नमो नारायण मीना	सदस्य	11 सितंबर 2003	23 मार्च 2004
श्री धर्म सिंह मीना	सदस्य	7 जुलाई 2005	6 जुलाई 2010
जस्टिस जगत सिंह	सदस्य	10 अक्टूबर 2005	9 अक्टूबर 2010
श्री पुखराज सीरवी	सदस्य	15 अप्रैल 2004	13 अप्रैल 2011

रिपोर्ट

आयोग ने 2010-2014 के बीच कुल 17,033 घटनाओं का आकलन किया था, जिसमें 33 जिलों में से जयपुर के बाद अजमेर में सबसे अधिक घटनाएं दर्ज की गईं। आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष एक व्यापक जिला और घटनावार रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, जिसमें घटनाओं की स्थिति के साथ-साथ आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष कुछ महत्वपूर्ण और प्रमुख फैसलों को दर्शाया जाता है। [7]

से	तक	बच्चा	स्वास्थ्य	कारागार	गिरोह	श्रम	एससी/एसटी	पुलिस	प्रदूषण	धार्मिक	महिला	अन्य	अस्वीकृत [8]	कुल
1 अप्रैल 2004	31 मार्च 2005	13	43	94	19	01	19	819	16	29	92	125	2002	3272
1 अप्रैल 2005	31 मार्च 2006	18	50	84	48	08	41	867	12	48	130	112	2317	3735
1 अप्रैल 2006	31 मार्च 2007 [9]	20	30	80	38	12	16	1002	16	54	158	158	2306	3890
1 अप्रैल 2007	31 मार्च 2008 [10]	24	38	63	08	08	27	997	17	33	186	317	2126	3844
1 अप्रैल 2008	31 मार्च 2009 [11]	36	34	57	26	06	39	1121	14	27	191	331	2095	3977
1 अप्रैल	31 मार्च	18	05	98	161	03	96	768	08	19	142	407	1526	3251

| ISSN: 2395-7639| www.ijmrset.com| Impact Factor: 7.580 | A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

|| Volume 9, Issue 11, November 2022 ||

|DOI:10.15680/IJMRSETM.2022.0811027|

2009	2010 [12]													
1 अप्रैल 2010	31 मार्च 2011	35	22	126	211	08	48	842	14	34	172	285	1777	3574
1 अप्रैल 2011	31 मार्च 2012	29	45	114	117	10	35	1175	20	36	181	288	1871	3921
1 अप्रैल 2012	31 मार्च 2013	29	117	112	55	07	20	1371	21	37	101	905	2177	4952
1 अप्रैल 2013	31 मार्च 2014	17	68	91	17	06	02	1375	03	31	32	1052	1892	4586

महत्वपूर्ण घटनाएँ

हाल की कुछ घटनाएं जिन्होंने राजस्थान राज्य में मानवाधिकार संबंधी चिंताओं को समाचार में ला दिया है:

- पाकिस्तानी निवासी हवा देवी एक साल से अधिक समय से जोधपुर में फंसी हुई हैं और प्रस्थान की अनुमति का इंतजार कर रही हैं। [13]
- राज्य पुलिस और स्थानीय अधिकारियों को नोटिस, जिसमें भाजपा सांसद हेमा मालिनी से जुड़ी कार दुर्घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है , जिसमें चार साल की बच्ची की मौत हो गई। [14]
- कोटा के कोचिंग हब में छात्रों द्वारा बढ़ती आत्महत्याओं का स्वत: संज्ञान। [15] [16]
- सीकर में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म की घटना से निपटने में पुलिस का रवैया . [17]
- जैन धर्म के अनुसार सल्लेखना का अभ्यास करते हुए मरने का अधिकार । [18] [19] [20]
- आरएसी की 11वीं बटालियन के आईपीएस अधिकारी पर भ्रष्टाचार और पक्षपात का आरोप. [21]
- चोरी हुए मोबाइल को बरामद करने के लिए अजमेर पुलिस स्टेशन में महिला को निर्वस्त्र करने के मामले में एनएचआरसी का स्वत: संज्ञान। [22]
- राजस्थान में नकली दवा कंपनी ने हाल ही में 13 अलग-अलग राज्यों में विभिन्न जीवन रक्षक दवाओं और एंटीबायोटिक्स की आपूर्ति की थी। [23]
- ब्यावर सेक्स रैकेट की जांच। [24]
- पोखरण-द्वितीय परमाणु परीक्षण के बाद खेतोलाई और लोहारकी गांवों में विकिरण के कारण कैंसर रोगियों की संख्या बढ़ रही है । [25] [26]
- सिलिकोसिस जैसी व्यावसायिक बीमारियों के चिंताजनक प्रसार को रोकने और उल्लंघन करने वालों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए खान अधिनियम, 1952 में आवश्यक संशोधन करने की सिफारिशें। [27] [28]
- सरकार द्वारा अधिग्रहीत भूमि का उचित मुआवजा। क्या किसान का मानवाधिकार है: भारत का सर्वोच्च न्यायालय । [29]
- राजस्थान मानवाधिकार आयोग ने जैसलमेर और बाड़मेर में कार्यरत होम गार्डों को स्थाई करने की वकालत की है. [30]

परिणाम

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 जो संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं राज्य स्तर पर राज्य मानव अधिकार आयोग को स्थापित करने की व्यवस्था है।

| ISSN: 2395-7639| www.ijmrset.com| Impact Factor: 7.580 | A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

|| Volume 9, Issue 11, November 2022 ||

|DOI:10.15680/IJMRSETM.2022.0811027|

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग देश के अग्रणी राज्य आयोगों में से एक है। इस आयोग ने अल्पावधि में ही मानव अधिकारों के संरक्षण एवं उन्नयन को बढावा देने के लिये अपने उद्देश्य में कई मील के पत्थर हासिल किये है।

राजस्थान की राज्य सरकार ने दिनांक 18 जनवरी 1999 को एक अधिसूचना राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के गठन के संबंध में जारी की, जिसमें मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानुसार एक पूर्णकालिक अध्यक्ष एवं चार सदस्य रखे गये। अध्यक्ष एवं चार सदस्यों की नियुक्ति कर आयोग का गठन किया गया और मार्च, 2000 से यह आयोग क्रियाशील हो गया था।मानव अधिकार संरक्षण (संशोधित) अधिनियम, 2006 के अनुसार राज्य मानव अधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और दो सदस्य का प्रावधान किया गया है।

वर्तमान में आयोग के माननीय अध्यक्ष और माननीय सदस्यों का विवरण इस प्रकार है :-

1. श्री गोपाल कृष्ण व्यास, माननीय अध्यक्ष
2. श्री राम चंद्र सिंह झाला , माननीय सदस्य
3. श्री महेश गोयल, माननीय सदस्य

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का मुख्य उद्देश्य राज्य में मानव अधिकारों की रक्षा हेतु एक निगरानी संस्था के रूप में कार्य करना है। 1993 के अधिनियम के अन्तर्गत धारा 2(घ) में मानव अधिकारों को परिभाषित किया गया है और इन न्यायोचित अधिकारों को भारतीय कानून के तहत अदालती आदेश द्वारा लागू कराया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर 10 दिसम्बर 1948 में मानव अधिकारों को परिभाषित कर सम्मिलित किया गया है और जिन्हे सख्ती से लागू किया जाना है।

राज्य मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अन्तर्गत एक स्वशाषी उच्चाधिकार प्राप्त मानव अधिकारों की निगरानी संस्था है। इसके स्वायतता हेतु आयोग के अध्यक्ष एवं नियुक्ति की प्रक्रिया इस प्रकार रखी गई है, जिससे उनके कार्य करने की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे, साथ ही उनका कार्यकाल पूर्व में ही निश्चित कर दिया गया है और अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत वैधानिक गारन्टी प्रदान की गई है और अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत वित्तीय स्वायतता भी प्रदान की गई है। आयोग का उच्च स्तर आयोग के अध्यक्ष, सदस्य एवं अधिकारीगण के स्तर से परिलक्षित होता है। अन्य आयोगों से भिन्न, आयोग के अध्यक्ष पद पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ही नियुक्त किया जा सकता है और इसी प्रकार, आयोग सचिव राज्य सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी से कम स्तर का अधिकारी नहीं हो सकता। आयोग की अपनी एक अन्वेषण एजेन्सी है, जिसका नेतृत्व ऐसे पुलिस अधिकारी जो महानिरीक्षक पुलिस के पद से कम स्तर का नहीं हो, द्वारा किया जाता है।[30]

निष्कर्ष

◆ मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 जो संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है के अनुसार राष्ट्री य स्तयर पर राष्ट्री य मानव अधिकार आयोग एवं राज्यज स्त र पर राज्य मानव अधिकार आयोग को स्थाथपित करने की व्वस्थाक है।
◆ राज्य मानवाधिकार आयोग संसदीय विधि 1993 के अंतर्गत वैधानिक निकाय है ।
◆ मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के अंतर्गत गठन की अधिसूचना 18 जनवरी 1999 को राज्य सरकार ने जारी की ।
◆ राज्य मानवाधिकार आयोग ने मार्च 2000 में विधिवत् रूप से कार्य शुरू किया ।
◆ राजस्थाि न राज्यर मानव अधिकार आयोग का मुख्य0 उद्देश्यप राज्यर में मानव अधिकारों की रक्षा हेतु एक निगरानी संस्थान के रूप में कार्य करना है।

◆ सचिवालय – जयपुर
◆ अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताएं
अध्यक्ष – उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो।
सदस्य – 1.उच्च न्यायालय या जिला न्यायाधीश रहा हो।
2. मानवाधिकारों से संबंधित मामलों का ज्ञान हो या व्यावहारिक अनुभव हों ।
सचिव – सरकार में सचिव स्तर का अधिकारी हो ।[30]

| ISSN: 2395-7639| www.ijmrset.com| Impact Factor: 7.580 | A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

|| Volume 9, Issue 11, November 2022 ||

|DOI:10.15680/IJMRSETM.2022.0811027|

प्रतिक्रिया दें संदर्भ

1. "राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत" (पीडीएफ)। 11 नवंबर 2020को लिया गया.
2. ^ "पूर्व अध्यक्ष और सदस्य | राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग" । 20 मई 2015 को मूल से संग्रहीत । 30 जुलाई 2017 को लिया गया .
3. ^ आईएएनएस (18 सितंबर 2015)। "एससी ने बिना नेतृत्व वाले राज्य अधिकार पैनल पर राजस्थान को फटकार लगाई" । बिजनेस स्टैंडर्ड इंडिया । 31 जुलाई 2017 को लिया गया ।
4. ^ "पूर्व झारखंड एचसी सीजे को एसएचआरसी प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया: राजस्थान सरकार ने एससी को" । ज़ी न्यूज़ । 6 नवंबर 2015 । 31 जुलाई 2017 को लिया गया ।
5. ^ "मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होंगे जस्टिस टाटिया" । 31 जुलाई 2017 को लिया गया ।
6. ^ "राज्य मानवाधिकार पैनल में रिक्तियां, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान की खिंचाई की" । 31 जुलाई 2017 को लिया गया ।
7. ^ "वार्षिक प्रगति रिपोर्ट | राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग" । 26 दिसंबर 2015 को मूल से संग्रहीत । 26 दिसंबर 2015 को लिया गया .
8. ^ "उनके पोते के बिना नहीं" । Indianexpress.com । 9 अगस्त 2015.
9. ^ "वर्ष 2006-07 के लिए एचआरएस" (पीडीएफ) । 11 नवंबर 2020 को लिया गया .
10. ^ "वर्ष 2007-08 के लिए एचआरएस" (पीडीएफ) । 11 नवंबर 2020 को लिया गया .
11. ^ "वर्ष 2008-09 के लिए एचआरएस" (पीडीएफ) । 11 नवंबर 2020 को लिया गया .
12. ^ "वर्ष 2009-10 का एचआरएस" (पीडीएफ) । 11 नवंबर 2020 को लिया गया .
13. ^ "मानवाधिकार पैनल ने हवा देवी की दुर्दशा पर ध्यान दिया - टाइम्स ऑफ इंडिया" । indiatimes.com ।
14. ^ "हेमा मालिनी दुर्घटना: आरएसएचआरसी ने पुलिस, स्थानीय अधिकारियों को नोटिस जारी किया" । oneindia.com ।
15. ^ "आरएसएचआरसी ने कोटा में छात्र आत्महत्याओं पर रिपोर्ट मांगी - टाइम्स ऑफ इंडिया" । indiatimes.com ।
16. ^ "कोटा में 30वीं छात्र आत्महत्या दर्ज, जिला प्रशासन स्तब्ध - टाइम्स ऑफ इंडिया" । indiatimes.com ।
17. ^ "सीकर बलात्कार: कूड़ा बीनने वाले 2 लोग पकड़े गए, 3 पुलिसकर्मी निलंबित - टाइम्स ऑफ इंडिया" । indiatimes.com ।
18. ^ "संथारा पर बहस: यह जैन प्रथा आत्महत्या नहीं है, लेकिन भारतीय कानून इसे इस तरह नहीं देखते हैं - फ़र्स्टपोस्ट" । www.firstpost.com .
19. ^ "जैन धर्म और संथारा द्वारा मरने का अधिकार" । Indianexpress.com । 2 सितंबर 2015.
20. ^ विश्वनाथन, शिव (24 अगस्त 2015)। "संथारा का एक पुनर्पाठ" । द हिंदू । आईएसएसएन 0971-751X . 17 जून 2019 को लिया गया ।
21. ^ "आरएसी की 11वीं बटालियन ने एडीजी पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, कार्रवाई के लिए डीजीपी को लिखा पत्र" । Indianexpress.com । 20 दिसंबर 2015.
22. ^ "अजमेर पुलिस स्टेशन में पुलिस ने महिला को निर्वस्त्र किया - टाइम्स ऑफ इंडिया" । indiatimes.com ।
23. ^ "न्यूज़7 - प्रमेय न्यूज़7, न्यूज़7 ओडिया, ओडिशा नवीनतम समाचार, ओडिशा वर्तमान सुर्खियाँ, ओडिशा समाचार ऑनलाइन" । 17 जून 2019 को लिया गया ।
24. ^ "मानवाधिकार आयोग ने कार्रवाई की, रिपोर्ट सौंपने को कहा, जयपुर समाचार हिंदी में - सैक्स स्कैंडल..मानवाधिकार आयोग ने नवीनतम रिपोर्ट दी, परमज्योति मानवाधिकार आयोग" । पत्रिका.कॉम .
25. ^ "नवीनतम समाचार, भारत, बंगाल समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़, राय, बॉलीवुड समाचार, क्रिकेट, फ़ुटबॉल - द स्टेट्समैन" । द स्टेट्समैन ।
26. ^ "पोखरण गांव विकिरण स्तर की जांच चाहता है - टाइम्स ऑफ इंडिया" । indiatimes.com ।
27. ^ धार, आरती (8 अप्रैल 2015)। "सिलिकोसिस का दुर्बल प्रभाव" - www.thehindu.com के माध्यम से।
28. ^ धार, आरती (5 अप्रैल 2015)। "सिलिकोसिस को रोकने के लिए खान अधिनियम में संशोधन करें: राजस्थान एचआरसी" - www.thehindu.com के माध्यम से।

| ISSN: 2395-7639| www.ijmrset.com| Impact Factor: 7.580 | A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

|| Volume 9, Issue 11, November 2022 ||

|DOI:10.15680/IJMRSETM.2022.0811027|

29. ^ "सरकार द्वारा अधिग्रहीत भूमि का उचित मुआवजा किसान का मानवाधिकार है: एससी - टाइम्स ऑफ इंडिया" । indiatimes.com ।
30. ^ "होम गार्ड नौकरियों के नियमितीकरण की मांग करते हैं - टाइम्स ऑफ इंडिया" । indiatimes.com ।

IJMRSETM

e-ISSN: 2395 - 7639

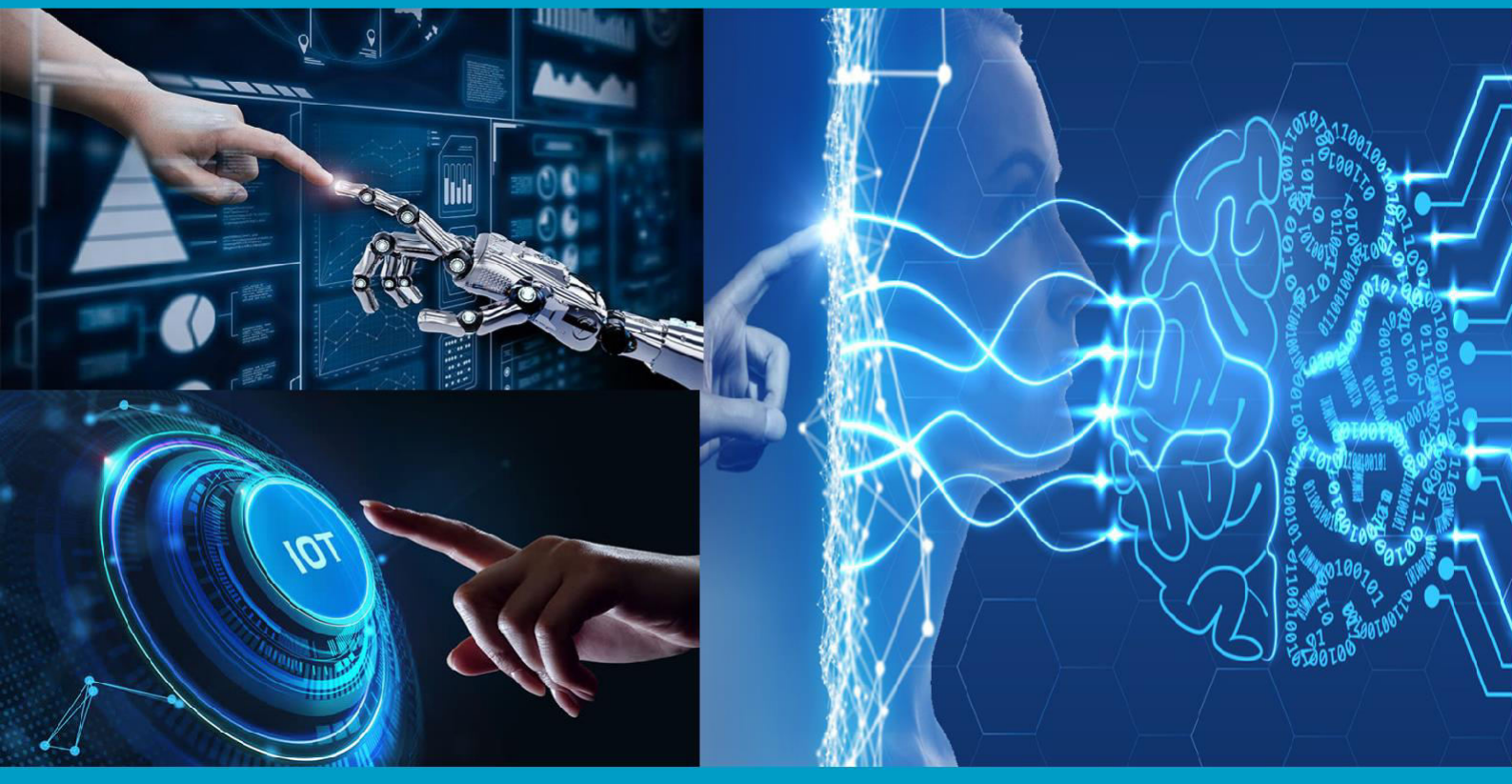

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH

IN SCIENCE, ENGINEERING, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT

Volume 9, Issue 11, November 2022

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 7.580